

गहलोत के अंधे विरोध के कारण ई.आर.सी.पी. प्रोजैक्ट बरसों लटका और अनाप-शनाप महंगा हो गया

लागत अनाप-शनाप बढ़ गई, क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं था इसलिए केवल प्रावधान करके छोड़ दिया और प्रोजैक्ट को टालते रहे

-नेगु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 सितम्बर। पूर्वी राजस्थान के तेरह जिलों की ई.आर.सी.पी. योजना को पांच साल तक लटकाने का काम अशोक गहलोत ने किया था, वरना जोधपुर सांसद और उस समय के जलशक्ति मंत्री जगेंद्र सिंह शेखावत की सलाह मानकर ई.आर.सी.पी. को मोदी सरकार के समय घोषित नदी जोड़ो परियोजना पी.के.सी. (पार्वती कालीसिंध चंबल) के साथ जोड़ने की सहमति दे दी होती तो मोदी सरकार को इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करना पड़ता और 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र से आता एवं आज ई.आर.सी.पी. का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका होता क्योंकि तब मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सहमति दे दी होती जैसे कि आज मोहन यादव ने दी है।

राजा जब जलसिंचित ज़िद का रास्ता अखिरापर कर ले तो प्रजा के हित को सर्वोपरि न माने तो वही हालत होती है जो आज इन तेरह जिलों की जनता की हो रही है।

बहरहाल, अशोक गहलोत ने जिद में चुनावी साल में ई.आर.सी.पी. कॉरपोरेशन की घोषणा की और 9000

■ उन्होंने केन्द्र सरकार की मदद शायद इसलिए ठुकराई, क्योंकि तब जोधपुर के सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत केन्द्र सरकार में जल संसाधन मंत्री थे और गहलोत को लगता था कि इस पर शेखावत को वाहवाही मिलेगी।

■ फिर, गहलोत ने चुनावी साल के अपने बजट में 9,000 करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ ई.आर.सी.पी. कॉरपोरेशन की घोषणा कर दी, पर, वित्त विभाग ने एक फूटी कौड़ी भी आवंटित नहीं की और सिंचाई विभाग को अपने स्तर पर बजट जुटाने को कहा गया।

■ इसके बाद शुरू हुआ जमीनों और रेत बेचने का सिलसिला और भारी भ्रष्टाचार का खेल। सार यह है कि ई.आर.सी.पी. को गहलोत ने राजनैतिक खिलौना बना डाला व चहेती कम्पनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया।

करोड़ के बजट की घोषणा कर दी जबकि वित्त विभाग ने इस कॉरपोरेशन को फूटी कौड़ी भी नहीं दी और सिंचाई विभाग को अपने स्तर पर फंड का इंतजाम करने को कहा। सिंचाई विभाग ने कई बांधों के पीछे जमा सैंड को निकालकर कंपनी को बेचने का ठेका जारी किया जिसकी शुरुआत बीसलपुर से हुई और 2900 करोड़ के ठेके में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। डॉ। किरोड़ी

लाल मोषान ने उस समय आरोप लगाए और वर्तमान विधानसभा में सादलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने भी मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं गहलोत सरकार शहरों के बीच स्थित सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीन नीलाम करने की विज्ञापियां जारी करने लगी क्योंकि वह केन्द्र सरकार की सहायत बिना 50000 करोड़ की योजना का काम

शुरू करना चाहती थी जबकि गहलोत को अच्छी तरह केन्द्र की सहायता के बिना इतनी बड़ी परियोजना का काम सुचारु रूप से आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

इसी ज़िद में गहलोत ने दो बांध और कुछ नहरों के निर्माण का टेंडर आमंत्रित कर लिया और जेब में नहीं होने के कारण एच.ए.एम. मॉडल पर टेंडर आमंत्रित किए। इस मॉडल में सब कुछ डिजाइन कंपनी को करना है लेकिन सरकार काम पूरा होने तक 40 प्रतिशत पैसा देगी जबकि 60 प्रतिशत पैसा सरकार इस अवधि से 20 साल तक ब्याज के साथ हर साल देगी। आखिर करोड़ों रूपए का यह ब्याज जनता क्यों भुगतने जा रही है जब केन्द्र सरकार अब एम.ओ.यू. करवा चुकी है और 90 प्रतिशत राशि केन्द्र देने को तैयार दिखाई दे रहा है।

लम्बोत्तुआब यही है कि ई.आर.सी.पी. को एक राजनीतिक खिलौना तो गहलोत बना ही चुके हैं लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी कंपनी के साथ सांठगांठ करके उसे भारी आर्थिक लाभ देने के टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर गए, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया कार्टेल साफ दिखाई देता है।

डॉ. मोहन भागवत 13 से जयपुर प्रान्त के प्रवास पर

जयपुर, 12 सितंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, जयपुर प्रांत में प्रवास के क्रम में 13 सितंबर, शुक्रवार शाम को अलवर पहुंचेंगे। वे 17 सितंबर तक अलवर रहेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत के प्रांत संघचालक महेन्द्रसिंह मग्गो ने बताया कि डॉ. भागवत इस दौरान विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में सम्मिलित होंगे और दायित्वलवान कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। पन्द्रह सितंबर को प्रातः इंदिरा गांधी खेल मैदान में स्वयंसेवकों के एकत्रिकरण कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। तत्पश्चात् 17

■ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों ने बताया कि डॉ. भागवत 13 से 17 सितंबर तक जयपुर प्रान्त में प्रवास पर रहेंगे और संगठन के कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

सितंबर को अलवर से पावटा जाएंगे, जहां महामृत्युंजय महायज्ञ में सम्मिलित होंगे। इसी दिन शाम को पावटा से प्रस्थान करेंगे।

प्रांत संघचालक ने बताया कि कार्यकर्ताओं के प्रबोधन और उनकी संभाल की दृष्टि से सरसंघचालक देशभर में नियमित प्रवास होता है। इसी क्रम में जयपुर प्रांत का प्रवास है। सन् 2025 में आ रहे संघ के शताब्दी वर्ष में संघ कार्य के विस्तार एवं समाज परिवर्तन के कार्यों को गति प्रदान करने और कार्यकर्ताओं का प्रबोधन जैसे विषयों पर भी वे चर्चा करेंगे।

‘प्र.मंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात मनगढ़ंत’

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें बांग्लादेश से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है

नयी दिल्ली 12 सितंबर (वार्ता) सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध की रिपोर्ट को 'काल्पनिक' करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में श्रीमती हसीना को प्रत्यर्पित किये जाने संबंधी ढाका से आ रहे रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया पढ़ते जाने पर कहा, 'हमने पहले भी कहा है कि ये सबाल काल्पनिक है। जहां तक श्रीमती हसीना की स्थिति का सवाल है तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बहुत कम समय के नोटिस पर सुरक्षा के संदर्भ में यहां आयी थी। इससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना है।' जायसवाल से पूछा गया था, 'क्या भारत सरकार को बांग्लादेश से श्रीमती हसीना के प्रत्यर्पण का कोई अनुरोध मिला है? यदि ऐसा अनुरोध आता है तो भारत सरकार का क्या कदम होगा?' तथा श्रीमती हसीना की अभी क्या स्थिति है, क्या वह राजनीतिक शरणार्थी हैं?' ढाका में स्थानीय मीडिया में ऐसी

■ भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शेख हसीना बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर भारत आई थीं। इस मामले में भारत अब कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता।

रिपोर्टें आयी हैं जिनमें अंतरिम सरकार के नेताओं के बवाल से कहा जा रहा है कि श्रीमती हसीना को भारत से प्रत्यर्पित कराया जाएगा।

पिछले माह पांच अगस्त को बांग्लादेश में छात्र आंदोलन अनियंत्रित होने के बाद सेना के हाथ खड़े कर देने के बाद श्रीमती हसीना को अचानक इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। वह बांग्लादेश वायुसेना के विमान से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हिंडन वायुसैनिक अड्डे पर पहुंची थीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हवाईअड्डे पर उनसे मुलाकात की थी। तब से श्रीमती हसीना यहां अज्ञात स्थान पर रह रही हैं।

‘उन्हें ढोल-ताशे बजाने दो’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी. वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच) के उस आदेश पर स्टे दे दिया, जिसमें पुणे में भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ढोल-ताशे-झांझ समूहों में 30 लोगों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। महादेव सरकार, पुणे प्रशासन, महादेव प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अन्य को नोटिस जारी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी.परदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा, "लोगों को ढोल-ताशा बजाने दो, यह तो पुणे की भावनाओं से जुड़ा आयोजन है।"

ग्रीन ट्रिब्यूनल की वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच के आदेश पर स्टे देते हुए, अदालत ने कहा, "(एन.जी.टी. के) निर्देशों से वे लोग प्रभावित होंगे, जो गणेशोत्सव के दौरान ढोल-ताशे बजाते हैं। एन.जी.टी. की निर्देश संख्या 4 पर स्टे रहेगा। उन्हें ढोल-ताशे बजाने दो। यह पुणे की भावनाओं से जुड़ा आयोजन है।"

■ सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में गणेश विसर्जन के दौरान ढोल ताशे बजाने वाले समूहों में 30 से ज्यादा लोग नहीं होने के नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ताओं, जिनमें 'युवा वाद्य पाठक ट्रस्ट' भी शामिल है, की ओर से प्रस्तुत एडवोकेट ने कहा कि 'ढोल-ताशे' का पुणे के गणेश उत्सव के लिए बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। इस उत्सव को होते 100 वर्ष से अधिक समय हो गया।

30 अगस्त को, एन.जी.टी. की वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच ने आदेश दिए थे कि निर्देशों के एक हिस्से के रूप में, पुणे के विसर्जन जुलूस के दौरान तथा गणेश-पांडालों के इर्द-गिर्द शोर की मॉनिटरिंग हो, जिससे न सितम्बर से शुरू हुए इस 10 दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित रहे। एन.जी.टी. ने लाउडस्पीकरों पर नियंत्रण लगाते हुए कहा था कि एक पंडाल में कुल 100 वॉट की क्षमता से ज्यादा लाउडस्पीकर नहीं होंगे। इसके अलावा, टोल (धातुनिर्मित अलंघिक शोर करने वाली यूनिट) तथा डी.जे. सैट भी विसर्जन जुलूसों में निषिद्ध होंगे। अन्य निर्देशों में, ढोल-ताशा-जंत्र बजाने वाले किसी भी ग्रुप में 30 से ज्यादा लोग नहीं होने का निर्देश शामिल था।

‘फारैन्सिक लैब्स में पैन्डिंग 1 8,2 8 2 केस प्रदेश के किस-किस क्षेत्र से संबंधित हैं?’

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया

अशोक गहलोत ने सभी घोड़े... मोदी का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अवास पर जाना रास नहीं आया शिवसेना को

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तक चलेगा तथा इसमें उन्हें ज्यादा श्रम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हरियाणा चुनावों के लिए वित्त-पोषण का काम हड़दकार रहे हैं, इसलिए उन्हें धन की भी आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से, मुख्यमंत्री को ही पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, जिससे वे चुनावों के लिए पैसे की व्यवस्था करके, इस मामले में पार्टी की मदद कर सकें। गांधी परिवार उन्हें समायोजित करने मूढ़ में नहीं है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि वे प्रियंका गांधी से सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा वे यदा-कदा उनकी बात सुन लेती हैं। सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह के ए.आई.सी.सी. में महासचिव पदों पर होने के कारण, गहलोत को अपना रास्ता मुश्किल प्रतीत हो रहा है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ गहलोत के विद्रोह के बाद, सोनिया गांधी तथा राहुल - दोनों ही उनसे अच्छे-खासे नाराज हैं तथा उन पर भरोसा करने के मूढ़ में नहीं हैं। अशोक गहलोत सत्ता के भूखे नेता के रूप में सामने आए थे, जो अपने मुख्यमंत्री पद को बनाए रखने की खातिर, किसी भी हद पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे। वे ऐसा तब तक करते रहे, जब तक राजस्थान की जनता ने उन्हें हरा नहीं दिया। उसके बाद, उनके पुत्र वैभव भी लोकसभा चुनाव हार गए थे। गहलोत गांधी परिवार के बहुत प्रिय नेता थे- वे उन्हें इतने ज्यादा पसंद थे कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनका चयन किया था, जिसे उन्होंने दो-दूक शब्दों में अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। इन सब लम्बी-चौड़ी बातों तथा तिकड़मों के पीछे सचिन पायलट के प्रति उनकी घोर नफरत थी। गहलोत यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे कि सचिन पायलट उन्हें पछाड़ कर, मुख्यमंत्री नहीं बन जायें। इस परिदृश्य में, गहलोत अब पिछड़ गए हैं तथा जयपुर और नई दिल्ली में अब उनका कोई खास महत्व नहीं रहा है। इस विपरीत स्थिति में, वे अपनी रायसभा सदस्य संजय राउत ने संदेह के लिए अपने सारे सूत्रों तथा सम्पर्कों को काम में ले रहे हैं।

सीता की विनम्रता व दोस्ताना याद रहेगा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बोल सकते थे, उनकी भाषा इतनी सरल थी कि सड़क पर चलने वाले आम आदमी को भी समझ में आ जाती थी। अगर माकपा उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाती तो वे प.बंगाल से जीत जाते, जहाँ कांग्रेस उनका समर्थन करने के लिए तैयार थी। राजनैतिक हलकों में माना जाता था कि येचुरी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाहकार थे और इंडिया गठबंधन के पीछे उनका बड़ा हाथ था। 12 अगस्त 1952 में चेन्नई में जन्मे येचुरी तेलुगु भाषी परिवार के थे। उनके पिता सर्वेश्वर सोमायाजुला येचुरी आंध्र प्रदेश परिवहन निगम में इंजीनियर थे, उनकी मां कल्याकम येचुरी सरकारी अफसर थीं। हैदराबाद में पले बड़े येचुरी ने दसवीं तक अल्ट सेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। वर्ष 1969 में तेलंगाना आंदोलन के कारण वे दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने प्रेसीडेन्ट्स एस्टेट स्कूल में एडमिशन लिया और सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में बी.ए. (ऑनर्स) किया और फिर जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एम.ए. किया। दोनों बार उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे जे.एन.यू. से ही पीएच.डी. कर रहे थे, पर आपातकाल में गिरफ्तारी की वजह से उन्हें रिसर्च छोड़नी पड़ी। येचुरी 1974 में माकपा की छात्र शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.एफ.आई.) में शामिल हुए थे और इसीलिए 1975 में लगे आपातकाल में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपातकाल के बाद वे जे.एन.यू. छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने और प्रकाश बनावार में जे.एन.यू. को समाजवादी-